तीन-स्तरीय सांप्रदायिक खेल योजना

लेखक - प्रकाश करात (भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य, मार्क्सवादी)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-II (राजव्यवस्था) से संबंधित है।

द हिन्दू

23 दिसम्बर, 2019

"NRC-NPR प्रक्रिया के माध्यम से, मोदी सरकार का लक्ष्य दूसरे श्रेणी के नागरिकों की एक श्रेणी बनाना है।"

नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (CAA, सीएए), 2019 और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन (NRC, एनआरसी) आपस में जुड़े हुए हैं। गृह मंत्री अमित शाह संसद और बाहर दोनों जगह बार-बार यह स्पष्ट कर चुके हैं। जिसमें सबसे पहले नागरिकता (संशोधन) विधेयक को संसद द्वारा अपनाया जाएगा उसके बाद NRC को अपनाया जाएगा।

सीएए के खिलाफ व्यापक विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर, केंद्र सरकार NRC को लागू करने के मुद्दे को टालने की कोशिश कर रही है। इस संदर्भ में स्पष्टता की कमी है और पूरे देश में एनआरसी कैसे लागू होने जा रही है, इस पर भी अपर्याप्त जानकारी उपलब्ध है।

गृह राज्य मंत्री जी. किशन रेड्डी ने कहा है कि एक देशव्यापी एनआरसी को अब तक अधिसूचित नहीं किया गया है और किसी को इससे डर नहीं होना चाहिए। सरकार ने हिंदी और उर्दू अखबारों में विज्ञापन जारी करते हुए कहा है कि " NRC की अभी तक घोषणा नहीं की गई है और अगर भविष्य में ऐसा किया जाता है, तो नियम और कानून ऐसे होने चाहिए कि कोई भी भारतीय नागरिक परेशान न हो।"

राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर

क्या है?

- एनपीआर का उद्देश्य देश में रह रहे हर नागरिक का ब्यौरा तैयार करना है।
- इसके अंतर्गत हर उस व्यक्ति को शामिल किया जाएगा जो पिछले छह महीने से किसी स्थानीय जगह पर रह रहा है या वह व्यक्ति जो उस इलाके में अगले छह महीने या उससे अधिक के लिए बसना चाहता है।
- एनपीआर के लिए 1 अप्रैल 2020 से जनगणना का काम शुरू होगा। टीमें असम को छोड़कर देशभर में घर-घर जाकर लोगों का डाटा एकत्रित करेंगी।
- भारत में बसे हर व्यक्ति के लिए एनपीआर में अपना नाम दर्ज कराना जरूरी होगा। 17वीं लोकसभा की शुरुआत में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने अभिभाषण में भी इसका जिक्र किया था।
- एनपीआर देश में रहने वाले नागरिकों की एक विस्तृत सूची होगी। एनपीआर के पूरा होने और प्रकाशित होने के बाद
- भारतीय नागरिक राष्ट्रीय पंजी (एनआरआईसी) तैयार करने के लिए इसके एक आधार बनने की उम्मीद है।

NRC-NPR लिंक

एक महत्त्वपूर्ण तथ्य यह है कि NRC प्रक्रिया राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) के संकलन से शुरू होती है। यह NRC का पहला चरण है। एनपीआर को तैयार करने और अद्यतन करने की अधिसूचना 31 जुलाई, 2019 को रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सिटीजन पंजीकरण द्वारा जारी की गई थी।

इसके लिए स्थानीय रजिस्ट्रार के अधिकार क्षेत्र में रहने वाले सभी व्यक्तियों से संबंधित सूचनाओं के संग्रह के लिए देश भर में (असम को छोड़कर) "सूचनाओं का संग्रह" करने के लिए घर-घर में जाकर जानकारी ली जाएगी। यह गणना अप्रैल 2020 और 30 सितंबर 2020 के बीच की जाएगी।

एनपीआर का संकलन एनआरसी तैयार करने की दिशा में एक प्रारंभिक कदम है। एनपीआर के आधार पर भारतीय नागरिकों के स्थानीय रजिस्टर को उचित सत्यापन के बाद अंतिम रूप दिया जाएगा। यह नागरिकता (नागरिकों का पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करने) नियम 2003 के तहत् एक निर्धारित प्रक्रिया है।

इसलिए, 1 अप्रैल, 2020 से नागरिकों की राष्ट्रीय रजिस्टर प्रक्रिया राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के लिए घर-घर नामांकन के साथ शुरू होगी।

यह ध्यान रखना महत्त्वपूर्ण है कि इन नियमों के अनुसार, सत्यापन प्रक्रिया के दौरान ऐसे व्यक्तियों के विवरण जिनकी नागरिकता संदिग्ध मानी जाती है, को स्थानीय रजिस्ट्रार द्वारा आगे की जाँच के लिए जनसंख्या रजिस्टर में उचित टिप्पणी के साथ दर्ज किया जाएगा और संदिग्ध नागरिकता के मामले में सत्यापन प्रक्रिया समाप्त होने के तुरंत बाद व्यक्ति या परिवार को एक निर्दिष्ट प्रोफार्मा (प्रपत्र) में सूचित किया जाएगा।

इन नियमों का एक और खंड 4 (5) (क) कहता है कि उप-नियम (4) में निर्दिष्ट भारतीय नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर में उनके विवरण को शामिल करने या बाहर करने के लिए अंतिम निर्णय लेने से पहले प्रत्येक व्यक्ति या परिवार को, नागरिक पंजीकरण के उप-जिला या तालुक रजिस्ट्रार द्वारा सुनवाई का अवसर दिया जाएगा।

अन्य मुख्य बिंदु

- इस प्रक्रिया को इसके पहले वर्ष 2010 और 2015 में दो चरणों में आयोजित किया गया था।
- NPR के तहत् सामान्य निवासी को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है जो स्थानीय क्षेत्र में छह महीने या उससे अधिक समय के लिए निवास कर रहा हो या एक व्यक्ति जो उस क्षेत्र में अगले छह महीने या उससे अधिक समय तक निवास करने की इच्छा रखता हो।
- इसके पहले आधार के साथ अतिव्यापी होने के कारण NPR की गतिविधियाँ धीमी हो गई थी।
- सरकार ने नागरिकता पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करने संबंधी नियम 2003 के नियम 3 के उप-नियम (4) के तहत जनसंख्या रजिस्टर तैयार करने और अद्यतन करने का निर्णय लिया है।
- NPR के तहत् असम को छोड़कर देश के अन्य सभी क्षेत्रों के लोगों से संबंधित सूचनाओं का संग्रह किया जाएगा।
- भारत के प्रत्येक सामान्य निवासी को स्वयं को NPR में पंजीकृत करवाना अनिवार्य है।

बायोमेट्रिक डेटा का उपयोग

सर्वेक्षण में पंद्रह प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें जन्म स्थान, जन्म तिथि और पिता एवं माता का नाम शामिल है। यह नया नियम आधार (Aadhaar) के विवरण को हटा देगा, जिसे बाद में व्यक्ति के बायोमेट्रिक्स के सत्यापन के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) के साथ क्रॉसचेक यानी मिलाया जाएगा। इसलिए एनपीआर संकलन में सूचीबद्ध लोगों के बायोमेट्रिक डेटा भी होंगे, जो कई प्रश्नों को जन्म देते हैं।

यह सत्यापन चरण में है जिससे सांप्रदायिक प्रोफाइलिंग एक कतार में आ जाएगी और जैसा कि गृह मंत्री ने घोषणा की थी कि एनआरसी का उद्देश्य घुसपैठियों को हिंदू शरणार्थियों के संदर्भ में बाहर करना है जो सीएए के तहत् नागरिकता के लिए पात्र बन जाएंगे। इसके बाद संदिग्ध नागरिक कहे जाने वालों को अपनी नागरिकता का प्रमाण प्रस्तुत करने की यातनापूर्ण प्रक्रिया से गुजरना होगा।

NRC को किसी नए कानून या संशोधन की आवश्यकता नहीं है। यह 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौरान किए गए एक संशोधन के माध्यम से 1955 के नागरिकता अधिनियम का एक हिस्सा है। पहली बार, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर की अवधारणा को भारत के प्रत्येक नागरिक को पंजीकृत करने और एक राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करने के लिए अनिवार्य बनाकर पेश किया गया था। इसके आधार पर नागरिकता के लिए पंजीकरण के नियम बाद में जारी किए गए थे जिसमें राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के लिए प्रावधान किया गया था।

इसके अलावा, इस तथ्य से भ्रम पैदा होता है कि NPR का अपडेशन जनगणना के साथ 2021 के लिए किया जा रहा है। एनपीआर सीधे एनआरसी से जुड़ा हुआ है।

भाजपा की खेल योजना पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में एक सांप्रदायिक विभाजन पैदा करना है। एक ओर यह दावा करता है कि NRC प्रक्रिया उन सभी को समाप्त कर देगी जो बांग्लादेश से मुस्लिम घुसपैठिए हैं। दूसरी ओर नागरिकता अधिनियम में संशोधन करके दशकों से सीमा पार से आए हिंदू प्रवासियों को नागरिकता देगी।

अनावश्यक और महंगी

एनआरसी प्रक्रिया ऐसे समय में की जा रही है जब आधार पहचान पत्र पहले से ही अधिकांश आबादी को कवर कर चुका है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया गया निर्वाचक फोटो पहचान पत्र भी है। इसलिए एक और नागरिकता रजिस्टर और पहचान पत्र की अब कोई आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा इस पर एक बड़ी राशि खर्च की जाएगी। एनआरसी प्रक्रिया को आबादी के सबसे गरीब वर्गों- प्रवासी श्रम, दूरदराज के इलाकों में रहने वाले आदिवासियों और अन्य सीमांत समुदायों- पर अत्यधिक भार बढ़ाएगा।

राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC)

क्या है?

- एनआरसी वह रजिस्टर है जिसमें सभी भारतीय नागरिकों का विवरण शामिल है। इसे 1951 की जनगणना के बाद तैयार किया गया था।
- रजिस्टर में उस जनगणना के दौरान गणना किए गए सभी व्यक्तियों के विवरण शामिल थे।
- इसमें केवल उन भारतीयों के नाम को शामिल किया जा रहा है जो कि 25 मार्च, 1971 के पहले से असम में रह रहे हैं। उसके बाद राज्य में पहुँचने वालों को बांग्लादेश वापस भेज दिया जाएगा।
- एनआरसी उन्हीं राज्यों में लागू होती है जहाँ से अन्य देश के नागरिक भारत में प्रवेश करते हैं। एनआरसी की रिपोर्ट ही बताती है कि कौन भारतीय नागरिक है और कौन नहीं।
- **सिर्फ असम में ही क्यों**
- नागरिकता के पैमाने अन्य राज्यों की तुलना में असम में बिलकुल अलग हैं। ऐसा वहाँ के पलायन के इतिहास को देखते हुए है। ब्रिटिश शासन के दौरान असम को बंगाल प्रेसीडेंसी में शामिल कर लिया गया था।
- 1826 से 1947 तक ब्रिटिश अधिकारी चाय बागानों के लिए दूसरे प्रांतों से यहाँ सस्ते मजदूर लाते रहे। मगर आजादी के बाद यहाँ दो बार पलायन का बड़ा दौर आया।
- पहला, भारत तथा पाकिस्तान के बँटवारे के वक्त, पूर्वी पाकिस्तान से। दूसरा, 1971 में पूर्वी पाकिस्तान से टूटकर बांग्लादेश बनने के बाद।
- 1979 से 1985 के बीच इस माइग्रेशन का जमकर विरोध हुआ। इसका नेतृत्व ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन (आसू) ने किया था।
- इसी वजह से 1985 में राजीव गांधी सरकार ने आसू और अन्य संगठनों के साथ असम अकॉर्ड समझौता किया।
- इसमें अवैध प्रवासियों की पहचान करने और उन्हें वापस भेजने का प्रावधान था। इसके लिए नागरिकता अधिनियम में अनुछेद-6ए जोड़ा गया, जिसमें असम के लिए विशेष प्रावधान किए गए।

किसे माना गया असम का नागरिक

- असम का वैध नागरिक तय करने के लिए कुछ विशेष प्रावधानों के तहत् व्यवस्थाएँ की गई और इसी आधार पर एनआरसी ड्राफ्ट किया गया।
- इसके तहत्- 1 जनवरी, 1966 से पहले असम में रहने वाला हर व्यक्ति यहाँ का नागरिक माना गया।
- 1 जनवरी, 1966 से 25 मार्च 1971 के बीच असम आए विदेशियों को फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के पास रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य हुआ।
- नागरिक के तौर पर इन्हें सभी अधिकार दिए गए, लेकिन मतदान का अधिकार 10 साल बाद देने की शर्त रखी गई।
- 25 मार्च 1971 को या इसके बाद असम में आने वाले किसी भी प्रवासी को नागरिकता का अधिकार नहीं दिया गया। अब एनआरसी के लिए आवेदकों को यह साबित करना पड़ रहा है कि वे या उनके पूर्वज इस तारीख से पहले असम के नागरिक थे।

सीएए के खिलाफ आंदोलन ने इसे एनआरसी से सही तरीके से जोड़ा है। CAA और NRC को मिलाकर देखा जाना चाहिए। जहाँ यह गैर-मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकों के रूप में वैध करेगा, वहीं एनआरसी तथाकथित मुस्लिम घुसपैठियों को लक्षित करेगा। नरेंद्र मोदी सरकार जो करने का लक्ष्य रख रही है वह दूसरी श्रेणी के नागरिकों की एक श्रेणी तैयार करना है ताकि इनके अधिकारों पर गंभीर रूप से लागाम लगाई जा सके।

राज्यों का विशेषाधिकार

अब यह आवश्यक बन गया है कि भाजपा और केंद्र सरकार के सांप्रदायिक एजेंडे को नाकाम कर दिया जाए। इसके लिए NRC पर रोक लगाने की आवश्यकता है। इस दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम राज्यों द्वारा एनपीआर प्रक्रिया को रोकना होगा। बीते दिनों ऐसे कई मुख्यमंत्री सामने आए हैं जो एनआरसी के विरोध में हैं। यहाँ तक कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, जिनकी पार्टियों ने संसद में सीएए का समर्थन किया था, ने कहा है कि वे एनआरसी नहीं चाहते हैं।

राष्ट्रीयता की परिभाषा

- किसी व्यक्ति की राष्ट्रीयता से उसकी जन्मभूमि का पता चलता है या यह पता चलता है कि व्यक्ति किस मूल का है। राष्ट्रीयता एक व्यक्ति को कुछ अधिकरों और कर्त्तव्यों को प्रदान करती है।
- एक राष्ट्र अपने नागरिकों को विदेशी आक्रमण से सुरक्षा प्रदान करता है जिसके बदले में वह नागरिकों से यह उम्मीद करता है कि राष्ट्र के प्रति अपने कर्त्तव्यों का भी पालन करें।
- अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के अनुसार, हर संप्रभु देश अपने देश के कानून के अनुसार यह तय कर सकता है कि कौन व्यक्ति उस देश का सदस्य बन सकता है।

पहले ही केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने घोषणा की है कि वे अपने राज्यों में एनपीआर प्रक्रिया को निलंबित कर रहे हैं।

एनपीआर में काम रूक जाता है क्योंकि यह राज्य सरकार ही है जो कर्मियों की भर्ती और सत्यापन प्रक्रिया प्रदान करती है। अन्य राज्य सरकारों को भी ऐसा करना चाहिए। यदि केंद्र सरकार इस घोषणा पर अडिग है कि एनआरसी प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, तो उसे एनपीआर के अद्यतन के लिए 31 जुलाई, 2019 की अधिसूचना को वापस लेना चाहिए।

नागरिकता की परिभाषा

- किसी व्यक्ति को किसी देश की नागरिकता उसे देश की सरकार द्वारा तब दी जाती है जब वह व्यक्ति कानूनी औपचारिकताओं का अनुपालन करता है।
- इस प्रकार नागरिकता के आधार पर किसी व्यक्ति की जन्म भूमि का पता नही लगाया जा सकता है।

GS World Committed to Excellence

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. 'नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर (NPR)' के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:-

1. NPR के तहत् 1 अप्रैल, 2020 से 30 सितंबर, 2020 तक नागरिकों का डेटाबेस तैयार करने के लिए देशभर में घर-घर जाकर जनगणना की जाएगी।
2. NPR के डेटा में जनसांख्यिकी के साथ बायोमीट्रिक जानकारी भी होगी।
3. कम से कम 12 महीने या उससे अधिक समय से स्थानीय क्षेत्र में रहने वाले हर निवासी को NPR में आवश्यक रूप से पंजीकरण करना होगा।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सत्य हैं?

(a) 1 और 2 (b) 2 और 3

(c) 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

Expected Questions (Prelims Exams)

1. **Consider the following statements in the context of 'National Population Register (NPR)':-**

1. Under the NPR, a door to door census will be conducted across the country to prepare a database of citizens from 1 April 2020 to 30 September 2020.
2. NPR data will also contain biometric information along with demographics.
3. Every resident residing in the local area for at least 12 months or more must be registered in the NPR.

Which of the above statements are correct?

(a) 1 and 2 (b) 2 and 3

(c) 1 and 3 (d) 1, 2 and 3

नोट : 21 दिसम्बर को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1 (d) होगा।

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्रश्न: राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर और नागरिक (संशोधन) अधिनियम, 2019 का आपसी संबंध न केवल सामाजिक रूप से चिंता का विषय है, अपितु केंद्र-राज्य विवाद का एक बड़ा कारण सिद्ध हो सकता है। इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं? (250 शब्द)

The mutual relation of the National Population Register and the Citizenship (Amendment) Act, 2019 is not only socially a matter of concern but can prove to be a major cause of center-state dispute. To what extent do you agree with this statement? (250 words)

नोट :- अभ्यास के लिए दिया गया मुख्य परीक्षा का प्रश्न आगामी UPSC मुख्य परीक्षा को ध्यान में रख कर बनाया गया है। अतः इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप इस आलेख के साथ-साथ इस टॉपिक से संबंधित अन्य स्रोतों का भी सहयोग ले सकते हैं।